न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–323 / 2026

बब्लु कुमार उर्फ बब्लु महतो बनाम् बिहार सरकार

जंदाहा थाना कांड संख्या–214 / 2025

अधीन धारा–126(2), 115(2), 118(1), 303(2), 3(5), 103(1), 109(1) भारतीय न्याय संहिता।

26-03-2026

जंदाहा थाना कांड संख्या–214 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 118(1), 303(2), 3(5), 103(1), 109(1) में अभिरक्षाधीन आवेदक **बब्लु कुमार उर्फ बब्लु महतो उम्र–28 वर्ष पेसर–फलु महतो** साकिन–अजीजपुर चांदे, थाना–महिसौर, जिला–वैशाली जो दिनांक–23.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्रीमती अंजुवाला सिन्हा** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 2 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

अभियोजन का संक्षिप्त मामला है कि, दिनांक–19.05.2025 को शाम करीब 07.00 बजे सूचक का लड़का शंकर महतो के मनोज महतो जो रिश्ते में मामा लगते हैं। सूचक के लड़का को एक लाख पचास हजार रूपया उसके भतीजी के शादी के लिए दिया था जिसे लेकर उसका लड़का रूपया लेकर ग्लैम्बर गाड़ी से बहुआरा के रोस्ते होते हुए थैंमा अपने घर आ रहा था। रास्ते में कालू महतो, रवि महतो, रोहित महतो एवं पांच अज्ञात लोग मुसापुर चौक और रॉबियल चौक के बीच में गाड़ी रोक के लाठी, डंडा एवं ईंट से मारना शुरू कर दिये, जिससे सूचक का लड़का बुरी तरह जख्मी हो गया और उसके पास जो एक लाख पचास हजार रूपया था उसे छीन लिये और गाड़ी भी ले लिये और सूचक के लड़का को सड़क के किनारे फेंक दिये। सूचक का जानकारी मिली तो वह अपने परिजन के साथ वहां पहुंचे तो देख कि वहां के स्थानीय लोग उपचार के लिए रॉबियल चौक पर प्राथमिक चिकित्सा करवा रहे हैं। उसके बाद सूचक उसे मुजफ्फरपुर प्रसाद हॉस्पीटल में ईलाज करवाया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक दिनांक–23.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामला में फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। निवेदित है, आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिया जाय।

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–323 / 2026

बब्लु कुमार उर्फ बब्लु महतो बनाम् बिहार सरकार

लगातार

26.03.2026 विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के नियमित जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक दिनांक–23.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है बल्कि उसका नाम मृतक शंकर कुमार महतो के भाई पंकज कुमार महतो के फर्दबयान में आया है जिसमें उसने प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन करते हुए कहा है कि उसके भाई शंकर कुमार महतो की मृत्यु ईलाज के दौरान हो गई जो कांड दैनिकी की कंडिका 24 में अंकित है। आवेदक पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के पुत्र को गाड़ी रोककर लाठी, डंडा एवं ईंट से मारकर बुरी तरह जख्मी करने एवं उसके पास जो एक लाख पचास हजार रूपया था, उसे छीनने एवं उसके गाड़ी को भी ले लेकर उसे सड़क के किनारे फेंक देने आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका 16 में वादी का पुनः बयान अंकित है जिसमें उसने कहा है कि ईलाज के दौरान उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है और उक्त बात का समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 17 एवं 30 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है जिसमें भी आवेदक का नाम लिया गया है। चन्देश्वर महतो ने कांड दैनिकी की कंडिका 17 में स्पष्ट रूप से कथित किया है कि जब वह अपने घर लौट रहा था उसने अभियुक्तगण को मृतक के साथ मारपीट करते हुए देखा और जब वह मृतक शंकर महतो को बचाने गया तो अभियुक्तगण इन्हें भी मारने के लिए दौड़े जिस कारण वह अपनी साईकिल से अपने घ्झर आ गये। कांड दैनिकी की कंडिका 30 में साक्षी पंकज महतो ने कथन किया है कि अस्पताल में दो दिन बाद मृतक शंकर महतो को होश आया तब मृतक ने बताया कि अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। कांड दैनिकी की कंडिका 31 में साक्षी उपेन्द्र महतो का बयान अंकित है जिसमें उसने कहा है कि शंकर महतो के साथ आवेदक सहित अन्य अभियुक्तगण मिलकर मारपीट किये थे और उसे मारते–मारते रोड के नीचे ले गये और पुनः मारते–मारते रोड पर लेकर आ गये। कांड दैनिकी की कंडिका 26 में मृतक शंकर कुमार महतो का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है जिमसें मृत्यु का कारण अस्पष्ट है। कांड दैनिकी की कंडिका 40 में मृतक शंकर महतो का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें चिकित्सक द्वारा मृतक के सर पर जख्म एवं उसके शरीर के अन्य भागों पर तेज एवं कठोर वस्तु से कारित जख्म पाया गया है और मृतक की मृत्यु चोट लगने के कारण हुई है। मामला

Web Copy not official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–323 / 2026

बब्लु कुमार उर्फ बब्लु महतो बनाम् बिहार सरकार

लगातार

26.03.2026 हत्या जैसी गंभीर प्रकृति का है और आवेदक के विरूद्व अभी अनुसंधान जारी है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, मामले में आरोप की गंभीरता एवं आवेदक के सक्रिय भागीदारी को देखते हुए आवेदक को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदक का नियमित जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official